16/5/96

HV8/11

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 6 मार्च, 1995

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 16
अनुपस्थिति की अनुमति	(1) 31
घोषणाएं :	
(क) अध्यक्ष द्वारा –	(1) 31
(i) सभापतियों की सूची	(1) 31
(ii) याचिका समिति	
(ख) सचिव द्वारा ––	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1) 32
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 32
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज पत्र	(1) 40
विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना	
(i) श्री सम्पत सिंह, एम0 एल0 ए0 तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध	(1) 42
(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध	(1) 43
(iii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध	(1) 44
(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध	(1) 45

मूल्य :

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha debates Vol. 1, No. 1,
dated the 6th March, 1995.

Read	For	Page	Line
जन्मशती	जन्मश्ती	1	19
आन्दोलन	आन्देलन	1	25
बैराज	बराज	5	24, 25
वर्ष	वष	10	14
भूतपूर्व	भूतपूव	16	4
वर्ष	वष	21	10
इन्सान	इसान	26	31
मैम्बर	मम्बर	30	22
regard	rgard	45	27

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 6 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 15.15 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, in pursuance of rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 P.M., today the 6th March, 1995, under Article 176 (1) of the Constitution. A copy of the address is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

2. माननीय सदस्यगण, यह वर्ष हमारे लिये विशेष महत्वपूर्ण है। इस वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती तथा उनके प्रिय शिष्य आचार्य विनोबा भावे जी की जन्मशती मना रहे हैं। इसी वर्ष जलियांवाला बाग घटना की 75वीं वर्षगांठ भी है। गांधी जी सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। वे केवल भारत में ही नहीं, अपितु विश्व-भर में युगप्रणेता व दलितों के मसीहा माने जाते हैं। उनके अहिंसा प्रेम, सहनशीलता एवं मानवीयता के सिद्धांतों पर चल कर न केवल भारत ने बल्कि विश्व के कई दबे और कुचले हुए देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। आज के परिप्रेक्ष्य में भी उनके ये सिद्धांत प्रासंगिक एवं अनुसरणीय हैं। आचार्य विनोबा जी का सर्वोदय आन्दोलन भूमि सुधार एवं ग्राम विकास के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास था। जलियांवाला बाग घटना हमें अपने पूर्वजों द्वारा आजादी के लिये किए गए बलिदानों का स्मरण करवाती है तथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने देश की आजादी को बनाए रखें। इन सभी भावनाओं व सिद्धान्तों को हमें एक बार फिर आत्मसात् करने की अत्यन्त आवश्यकता है

[श्री अध्यक्ष]

माननीय सदस्यगण, आइए हम सब अपने मतभेद भुलाकर इन महान आत्माओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रेम और सहयोग पर आधारित एक स्वच्छ, सुदृढ़ एवं प्रगतिशील समाज तथा प्रदेश के निर्माण के लिये पुनः संकल्प लें और एक साथ मिलकर इस महान कार्य में जुट जाएं ।

मेरी सरकार भारत सरकार की आभारी है कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर दीनबन्धु चौधरी छोटूराम जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करके प्रदेश के महान सपूत के प्रति सम्मान प्रकट किया। चौ० छोटूराम जी ने इस प्रान्त की खासतौर पर खेतिहर मजदूरों और कमजोर वर्गों की जो सेवा की है, उसके लिये उनका नाम सदा बड़े आदर के साथ याद किया जाता रहेगा ।

3. स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ प्रजातान्त्रिक ढांचे की स्थापना तथा स्थानीय प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही सामाजिक व आर्थिक विकास सही तौर पर और तीव्र गति से किया जा सकता है । संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अनुसार राज्य में नई पंचायती राज और स्वशासन प्रणाली कायम करना इस दिशा की ओर एक नया और महत्वपूर्ण कदम है । मैं हरियाणा प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हाल ही में हुए पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के चुनाव शान्तिपूर्वक और निष्पक्षता से आयोजित करने में बड़ा योगदान दिया और भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर, हमेशा की भान्ति प्रजातन्त्र में अपनी गहरी आस्था की अभिव्यक्ति की । बहुत खुशी की बात है कि इन चुनावों में अनेक उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए हैं । इस के लिये भी मैं प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं । इसके साथ ही इन चुनावों से जुड़े हुए सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने निष्ठा तथा परिश्रम से यह कार्य सम्पन्न किया । मेरी सरकार ने इन प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए संविधान के अनुसार एक स्वतन्त्र "राज्य चुनाव आयोग" का गठन किया और इसके माध्यम से चुनाव करवाए । इन संस्थाओं को आवश्यक आर्थिक साधन उपलब्ध करवाने के लिये सिफारिशें देने हेतु "राज्य वित्त आयोग" का भी गठन किया गया है । मेरी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों को पर्याप्त जिम्मेदारियां सौंपने का भी फैसला किया है । मुझे विश्वास है कि ये संस्थाएं इन जिम्मेदारियों को जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप निर्वहन करेंगी और साथ ही ये संस्थाएं भविष्य के नेताओं के लिये नर्सरी और प्रशिक्षण शिविर का भी काम करेंगी और इसके माध्यम से विकास की योजनाओं को तैयार करने, उन्हें लागू करने तथा उनकी देखरेख करने की प्रणाली में भी सुधार होगा । प्रदेश में कुल मिला कर 5958 ग्राम पंचायतें, 110 पंचायत समितियां एवं 16 जिला परिषदें हैं । इन सभी के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और इनका गठन भी हो गया है । इन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं

में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है । इस प्रक्रिया से प्रदेश में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होगा और पंचायती राज एवं स्वशासन के एक "नए युग" का शुभारम्भ होगा ।

4. मेरी सरकार ने हरियाणा में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने के काम में पहल की है । राज्य में अधिकांश मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं और शेष व्यक्तियों को भी शीघ्र फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे । हमें आशा है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप राज्य में मतदाताओं की सूचियों से गलत नामों को हटाने में सहायता मिलेगी और सही मतदाताओं के जरिए नियमानुसार स्वच्छ पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।

5. वर्ष 1994 के दौरान प्रदेश में "कानून और व्यवस्था" की स्थिति शान्तिपूर्ण बनी रही । साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव की कड़ियां और मजबूत हुई हैं । साम्प्रदायिक सद्भावना तथा परस्पर सहयोग की भावना को बनाए रखने हेतु मेरी सरकार वचनबद्ध है । मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिये कटिबद्ध है और उसके लिये कोई कसर नहीं उठा रखेगी । मेरी सरकार ने राज्य में पुलिस बल को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें आधुनिक साज सामान, वाहन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अनेक कदम उठाए हैं और उनकी सेवा की शर्तों में अनेक सुधार किए हैं ।

6. मेरी सरकार विकास की गति को और तेज करने और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये अवसर जुटाने हेतु भरसक प्रयत्न कर रही है । वर्ष 1994–95 की वार्षिक योजना में मूल प्रावधान 1025 करोड़ रुपये था, जिसके मुकाबले इस वर्ष कुल वास्तविक खर्च 1030.33 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो हर दृष्टि से सराहनीय है । वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना के लिए 1250 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जो कि चालू वर्ष, के परिव्यय के मुकाबले लगभग 21.3 प्रतिशत अधिक है । मेरी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, बिजली, सिंचाई और सामाजिक सेवा क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है । कुल योजना का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाना प्रस्तावित है ।

7. मेरी सरकार कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व देती है । हमारे मेहनती किसानों के परिश्रम व उपयुक्त सरकारी नीतियों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं । वर्ष 1994–95 में खरीफ फसल में 30.85 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ । इसमें चावल का उत्पादन 22 लाख टन था जो एक नया कीर्तिमान है । रबी फसल में भी रिकार्ड उत्पादन होने की आशा

[श्री अध्यक्ष]

है । परिणामस्वरूप हमें विश्वास है कि वर्ष 1994-95 में प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 107 लाख टन के लक्ष्य को पार करते हुए नई ऊंचाई को छूएगा ।

सरकार ने कृषि के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण इनपुटस किसानों की दहलीज तक पहुंचानें की पर्याप्त व्यवस्था की है । वर्ष 1994-95 में किसानों को लगभग 3 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज रियायती दरों पर बांटे गए । इसी प्रकार पिछले साल के 6.72 लाख टन के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान 6.90 लाख टन रासायनिक उर्वरकों की खपत होने की सम्भावना है । मेरी सरकार ने जिप्सम तथा छिड़काव सिंचाई सैटों के लिये, आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उर्वरकों, अनाज रखने के भण्डारों, नलकूपों तथा कृषि उपकरणों के लिये भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता का लाभ भी किसानों को पहुंचाया है ।

किसानों को उनके परिश्रम का पूरा लाभ पहुंचाने तथा उनके वर्तमान आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिये उन्हें लाभकारी समर्थन मूल्य दिए गए हैं । कृषि उपज के अधिक उत्पादन तथा इसकी बढ़ी हुई कीमतों के कारण किसानों को वर्ष 1990-91 के मुकाबले वर्ष 1994-95 में 3110 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हुआ है ।

मेरी सरकार ने चालू पिराई मौसम में अगेती गन्ने का मूल्य अब तक का सर्वाधिक अर्थात 70 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । इसी प्रकार गेहूं, चना, जौ, तोरिया सरसों तथा सूरजमुखी का समर्थन मूल्य भी काफी बढ़ाया गया है ।

मेरी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि के विविधिकरण, विशेष रूप से फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये काफी प्रयास कर रही है । परिणामस्वरूप, 1993-94 की तुलना में चालू वर्ष में फलों एवं सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र 92,021 हैक्टेयर से बढ़कर 1994-95 में 98,261 हैक्टेयर और उत्पादन 12.83 लाख टन से बढ़कर 13.65 लाख टन हो जाने की आशा है । खुम्भी का उत्पादन 1600 टन होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष के मुकाबले 33 प्रतिशत ज्यादा है । गत वर्ष 1200 हैक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती हुई थी और चालू वर्ष में यह क्षेत्र 1600 हैक्टेयर हो जाएगा । सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिये पालिथीन हाउस तकनीक का भी प्रसार किया जा रहा है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी के लिये 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । बागवानी उत्पादन की बिक्री प्रोसैसिंग आदि सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से राई में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के "फल एवं सब्जी विपणन व प्रसंस्करण काम्पलैक्स" के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है ।

शुष्क और रेतीली भूमि पर खेती करने या खारे पानी से बागवानी की नई तकनीक अपनाने के लिये हरियाणा कृषि उद्योग निगम तथा कुछ स्थानीय उद्यमियों द्वारा इस्राईल के कई संगठनों के साथ कृषि तकनीक तथा संयुक्त कृषि कार्यों के लिये कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर अमल करने का काम जारी है। शीघ्र ही हरियाणा प्रान्त से प्रगतिशील किसानों का एक दल इस्राईल भेजा जाएगा जो वहां की कृषि व सिंचाई की प्रणाली का अध्ययन करेगा। इससे इन तकनीकों को अपनाने में सहायता मिलेगी।

8. सरकार राज्य में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। मेरी सरकार पंजाब में सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करवाने के लिये बहुत प्रयत्नशील है और भारत सरकार से निरन्तर प्रयास कर रही है। हमें आशा है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप इस परियोजना का शेष काम जल्दी पूरा हो जाएगा। इस बीच सरकार उचित जल प्रबन्ध, जल-संरक्षण और सिंचाई साधनों के अनुरक्षण द्वारा सिंचाई को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पानी के रिसाव को कम करने के लिये अनेक स्कीमें अपनाई गई हैं।

हरियाणा ने विश्व बैंक की सहायता से 1858 करोड़ रुपए की लागत की एक महत्वाकांक्षी "हरियाणा जल संसाधन कन्सोलिडेशन परियोजना" शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों को मजबूत बनाना है। इस परियोजना को वर्ष 1994 से 2000 की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिये वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना में 180.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सरकार का चालू वित्त वर्ष में 30 लाख रनिंग फुट जलमार्गों को पक्का करने का लक्ष्य है। साथ साथ नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से गाद तथा घास-पात निकालने के लिये कदम उठाये गए हैं। नए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के तहत अब हथनी कुण्ड बराज निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। इस बराज का शिलान्यास केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री द्वारा सभी सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों था अन्य मन्त्रियों की उपस्थिति में किया जा चुका है। इस नये बराज के बनने से सिंचाई के लिये अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। इस बराज के निर्माण पर लगभग 163 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

प्रदेश में अब तक 7066 किलोमीटर लम्बी नहरों और खालों को पक्का किया जा चुका है। इन नहरों तथा खालों के पक्का होने से 2440 क्यूसेक पानी की बचत हुई है, जिससे 2.26 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं।

[श्री अध्यक्ष]

9. मेरी सरकार राज्य में पर्याप्त बिजली की सप्लाई की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है। प्रदेश में कृषि तथा उद्योगों के तेजी से हुए विकास के कारण यहां बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर बिजली की दैनिक सप्लाई 302 लाख यूनिट तक पहुंच गई है जबकि पिछले साल यह सप्लाई 286 लाख यूनिट थी। प्रदेश में थर्मल पावर प्लाण्टों द्वारा गत वर्ष यानि दिसम्बर, 1994 तक 2286 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, जबकि दिसम्बर 1993 तक यह उत्पादन 2004 लाख यूनिट था, जोकि पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत अधिक है। कुल उत्पादित बिजली का करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को सब्सीडाईजड दरों पर सप्लाई किया गया।

बिजली सप्लाई की हमारी जरूरत और मांग के बीच अन्तर को कम करने के लिये मेरी सरकार ने बिजली सप्लाई को उच्च प्राथमिकता दी है। अनिर्धारित केन्द्रीय पूल में से प्रदेश को 300 मैगावाट बिजली का विशेष आवंटन करवाकर मेरी सरकार ने चालू रबी मौसम के दौरान किसानों को अधिक बिजली उपलब्ध करवाई है।

मेरी सरकार ने बिजली उत्पादन की नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिये कई नए कदम उठाए हैं। यमुनानगर में दो चरणों में पूरी होने वाली 1050 मैगावाट की ताप बिजली परियोजना के निर्माण के बारे में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का इस्राईल की एक कम्पनी के साथ समझौता हो गया है। साथ साथ मेरी सरकार हिसार तथा पलवल में 1000 मैगावाट क्षमता की ताप बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी बिजली उत्पादकों की भागीदारी पर विचार कर रही है। फरीदाबाद में 400 मैगावाट की गैस-आधारित बिजली उत्पादन परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये मेरी सरकार भारत सरकार तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एन0टी0पी0सी0) से बात कर रही है और इस परियोजना का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाने की आशा है। हिमाचल में निर्माणाधीन संयुक्त "पार्वती पन बिजली परियोजना" में भी हरियाणा की भागीदारी है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार राज्य में विभिन्न स्थानों पर निजी क्षेत्रों द्वारा डीजल या अन्य ईंधन पर आधारित मध्यम क्षमता की बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर भी विचार कर रही है और इस बारे में प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं।

बिजली वितरण के स्तर को बढ़ाने के लिये वितरण प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 220 के0वी0 का एक 132 के0 वी0 के दो, 66 के0 वी0 के दो और 33 के0 वी0 के0 8 उप केन्द्रों को चालू किया गया

है और अब तक 30 विद्यमान ग्रिड उपकेन्द्रों की क्षमता को बढ़ाया जा चुका है। मेरी सरकार विश्व बैंक के परामर्श से, राज्य में बिजली के क्षेत्र के ढांचे में परिवर्तन करने और इस क्षेत्र में लम्बी अवधि की [illegible] पर भी विचार कर रही है। मेरी सरकार बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सभी सम्भाव्य स्रोतों से साधन जुटाने की हर सम्भव कोशिश करेगी।

10. माननीय सदस्यगण, हरियाणा राज्य ने सुदृढ़ औद्योगिक आधार बनाकर राज्यों में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इस समय हरियाणा में 679 बड़े तथा मध्यम औद्योगिक यूनिट तथा 1,24,472 लघु उद्योग यूनिट हैं जिनमें 9,14,000 व्यक्ति काम करते हैं। 351 करोड़ रुपये के निवेश वाले 90 बड़े तथा मध्यम यूनिटों ने वर्ष 1993-94 में उत्पादन आरम्भ कर दिया था और 80 ऐसे यूनिटों द्वारा वर्ष 1994-95 में उत्पादन आरम्भ कर देने की संभावना है।

11वें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले के उद्घाटन के अवसर पर हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए भारत के राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा था कि इस राज्य ने खासकर इंजीनियरिंग उद्योग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने यह भी कहा था कि हरियाणा ने एक ऐसा औद्योगिक वातावरण बनाने में पहल की है जिससे निवेश के आगम और उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है।

मेरी सरकार ने उत्तम अवस्थापना के निर्माण का कार्य भी आरम्भ किया है। बावल तथा साहा में दो विकास केन्द्र, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप गुड़गांव, निर्यात उन्नयन औद्योगिक पार्क कुण्डली, सैटेलाइट फ्रेट सिटी गुड़गांव जैसी प्रमुख परियोजनाएं बनने जा रही हैं। तीव्र उद्योगीकरण के लिये मेरी सरकार की उत्सुकता वाणिज्य तथा उद्योग जगत के साथ सरकार के सम्बन्धों में आमूल चूल परिवर्तन से स्पष्ट लक्षित होती है। नये यूनिट स्थापित करने के लिये सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाकर इसके लिये समय सीमा निश्चित कर दी गई है। इसी प्रकार वर्तमान यूनिटों के निरीक्षण कार्य को भी दोषरहित बनाया गया है ताकि अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण उन्हें परेशानी न उठानी पड़े।

यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी के समीपवर्ती क्षेत्रों में उद्योगीकरण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, फिर भी मेरी सरकार ने राज्य के बहुमुखी विकास के दृष्टिगत राज्य के 76 खण्डों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ताकि इन क्षेत्रों में लगने वाले उद्योग धन्धों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा सके। हरियाणा वित्त निगम, हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने उद्योगों के विकास

[श्री अध्यक्ष]

के कार्य में सराहनीय काम किया है। हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने मर्चेंट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना भी आरम्भ कर दिया है।

11. मेरी सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों के लिये कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने और इसका विस्तार करने के लिये विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना आरम्भ की है। इस परियोजना के अन्तर्गत 12 वर्तमान पॉलिटैकनिक संस्थानों को आधुनिक बनाया गया है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने राज्य में विदेशी निवेश के अधिक आगम के दृष्टिगत विदेशी भाषा पाठ्यक्रम भी आरम्भ कर दिये हैं।

उद्यम को बढ़ावा देने और उद्योग तथा सेवा के क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिये, मेरी सरकार ने युवाओं को 148 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। चालू वर्ष के दौरान 10 नये व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना की गई है और वर्ष 1995–96 में 20 नये संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है। कुछ विशिष्ट धंधों में कामगारों की कुशलता को बढ़ाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकता पर आधारित लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स भी आरम्भ किये जा रहे हैं। सरकार ने उद्योग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिये कन्फैडरेशन आफ इंडियन इण्डस्ट्रीज और कुछ अन्य औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 866 विद्यार्थियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 89 अनुदेशकों को भागीदार औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम पर ही प्रशिक्षण दिया गया है।

12. मेरी सरकार ने मजदूरी एवं उप उद्यम के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाकर तथा अधिक उत्पादकता के लिये सामुदायिक अवस्थापना तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने का प्रयास किया है। वर्ष 1994–95 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 15197 परिवारों को सहायता दी गई है तथा ट्राईसेम स्कीम में 3167 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में जनवरी के अन्त तक 19.03 लाख श्रम दिवस जुटाये गए। गांवों में कृषि की मन्दी के मौसम में ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा के 44 खंडों में रोजगार आश्वासन स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष जनवरी के अन्त तक 19.67 लाख श्रम दिवस जुटाये गये हैं। हरियाणा के सभी जिलों में डवाकरा (DWCRA) स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों के लिये 2788 महिला ग्रुप संगठित किये गये हैं। इन महिला ग्रुपों एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के

अन्तर्गत लाभ पाने वालों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिये 7 जिलों में जिला सप्लाई तथा विपणन समितियां भी बनाई गई हैं ।

13. स्वच्छ पर्यावरण भी मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है । जनता में पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिये कार्यवाही की जा रही है । मेरी सरकार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्य प्राणी परिरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के शीघ्र निपटान के लिये फरीदाबाद तथा हिसार में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाने जा रही है । लघु उद्योगों के लिए सांझे जल-शोधन संयन्त्र लगाने की भी योजना है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रचेष्टा से अब तक 625 औद्योगिक यूनिटों में जल-शोधन संयन्त्र तथा 665 यूनिटों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय किये जा चुके हैं ।

14. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा उपायों संबंधी गतिविधियों को और व्यापक बनाते हुए विशेषकर महिलाओं का विकास तथा सामर्थ्य बढ़ाने तथा कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय देने के कार्य पर बल दिया है ।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, उनके लिये शिक्षा की सुविधाएं तथा परम्परागत कार्यों से भिन्न रोजगार के अवसर जुटाकर उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान मेरी सरकार के लिये प्राथमिकता का विषय है । वर्ष 1994-95 में हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने 5885 व्यक्तियों को व हरियाणा पिछड़ी श्रेणियां तथा कमजोर वर्ग कल्याण निगम ने 1690 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की है । मेरी सरकार ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मार्च 1996 के अन्त तक हरियाणा में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा । इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ।

सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती में विभिन्न अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में असन्तुलन को ठीक करने के लिये मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये निश्चित आरक्षण के कोटे के अन्तर्गत कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया है । मुझे विश्वास है कि इससे वास्तव में पिछड़ रही अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा । मेरी सरकार ने अक्तूबर 1993 में दूसरा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया था । आयोग ने हाल ही में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है । यह रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

मेरी सरकार ने महिला तथा बाल विकास पर विशेष बल दिया है ।

[श्री अध्यक्ष]

अब तक हरियाणा के 105 ग्रामीण व 5 शहर खंडों में एकीकृत बाल विकास स्कीम लागू की जा चुकी है। वर्ष 1994-95 में बाहरी सहायता प्राप्त "इंटेगरेडिट वीमन्ज इम्पावरमैंट एण्ड डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट" आरम्भ किया गया है जिसके लिये इस साल 3.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को गुटों में संगठित करके इस परियोजना का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा, जागृति, शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाना। हाल ही में महिला ग्रुपों तथा निम्नतम स्तर के कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये "महिला जागृति एवं प्रबन्ध अकादमी (वामा)" नामक एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है।

राज्य के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिये मेरी सरकार ने कई विकास कार्यक्रम चला रखे हैं। साथ ही जहां भी सरकारी कार्यक्रमों से समाज पर बुरा असर पड़ता है, वित्तीय हानि के बावजूद मेरी सरकार ने उन कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन किया है। उदाहरणस्वरूप, मेरी सरकार ने अगले चालू वर्ष से हरियाणा में अपनी लाटरीज का बिकना बन्द करने तथा राज्य में बिकने वाली अन्य लाटरियों पर 20 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार अगले वित्त वर्ष से राज्य के तीन सितारा व उससे ऊंचे दर्जे के होटलों और हरियाणा पर्यटन निगम की सुविधाओं को छोड़कर सभी शराबखानों (बार) को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1994-95 में मेरी सरकार ने "अपनी बेटी अपना धन" नामक एक अग्रगामी योजना चलाई है। इस योजना का मूल उद्देश्य है, लड़की को बोझ समझने के वर्तमान दृष्टिकोण को बदलकर परिवार तथा समाज में लड़की की स्थिति सुधारना। इस स्कीम के अन्तर्गत अधिकांश अनुसूचित जातियों के परिवार तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी परिवार आते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत नवजात लड़की की माता को उसकी तत्काल पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 500 रुपये की अदायगी पन्द्रह दिन के अन्दर की जा रही है और लड़की के पक्ष में इन्दिरा विकास पत्रों में 2500 रुपये का निवेश किया जाता है। मूल्यवृद्धि सहित यह राशि लगभग 25000 रुपये हो जाएगी जो लड़की को उसके 18 वर्ष की आयु की होने पर दे दी जाएगी। इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ तीसरे बच्चे तक दिया जाएगा। वर्ष 1995-96 में इस स्कीम के लिये 19.69 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे 65625 परिवारों को लाभ होने की आशा है।

15. मेरी सरकार ने जरूरत की सभी चीजों को, नियत दरों पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुचारू रूप से चलाने के प्रयत्न किए हैं। इस समय राज्य में चलाई जा रही

7216 उचित मूल्य की दुकानें लोगों को आवश्यकताओं की सभी चीजें सप्लाई कर रही हैं। यह हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता का प्रमाण है कि किसी भी उपभोक्ता को जरूरत की चीजें लेने के लिये 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी नहीं पड़ती। माननीय सदस्यगण मुझे यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि वर्ष 1994-95 में हमने केन्द्रीय पूल में 10.56 लाख टन चावल दिया है जबकि 9.5 लाख टन देने का वायदा था।

16. मेरी सरकार सभी के लिये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा उनमें सुधार लाने के लिये कार्यवाही कर रही है। राज्य में 2299 उप केन्द्रों, 398 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 60 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 26 डिस्पैंसरियों तथा 47 अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेरी सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। मेरी सरकार ने साथ साथ आयुर्वेद तथा होम्योपैथी जैसी अन्य चिकित्सा प्रणालियों को भी प्रोत्साहन दिया है।

रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा मैडिकल कालेज राज्य में आयुर्विज्ञान शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। यहां स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अतः इस का नाम बदल कर "पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक" रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विधेयक शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

17. मेरी सरकार ने राज्य के सभी 6745 गांवों में मार्च 1992 तक स्वच्छ पेय जल सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। अब सरकार पानी की कमी वाले गांवों में जल सप्लाई 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के लिये वचनबद्ध है। वर्ष 1994-95 में 700 गांवों में एवं वर्ष 1995-96 में 800 गांवों में यह जल सप्लाई स्तर बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 30 लिटर प्रति पशु पेय जल सप्लाई करने के लिए मरुस्थल विकास परियोजना के तहत हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी में सप्लाई स्तर 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1994-95 में 312 गांवों में यह कार्य पूरा हो जायेगा। वर्ष 1995-96 में 100 और गांवों में यह सुविधा देने के लिये 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी ढाणियों को भी स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1994-95 में 200 ढाणियों को तथा वर्ष 1995-96 में 200 और ढाणियों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है।

[श्री अध्यक्ष]

हरियाणा के शहरों में अपर्याप्त बरसाती जल निकास प्रणाली के दृष्टिगत एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिस के अन्तर्गत बरसाती पानी की निकासी सुनिश्चित की जाएगी। इस के लिये हिसार, अम्बाला, पानीपत, टोहाना, जींद, सोनीपत एवं गुड़गांव में काम शुरू हो गया है और जून 1995 तक पूरा हो जाएगा।

यमुना नदी के शुद्धिकरण हेतु यमुना कार्य योजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिस के अन्तर्गत यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव तथा फरीदाबाद नगरों में मल-शोधन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 133.47 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिये भारत सरकार तथा ओ० ई० सी० एफ०, जापान से भी सहायता मिल रही है।

18. माननीय सदस्यगण विकास के लिये शिक्षा अनिवार्य है। अतः मेरी सरकार सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, वयस्कों की कार्यात्मक साक्षरता, लड़कियों की शिक्षा तथा सर्वोपरि शिक्षा स्तर में सुधार के लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास तथा उन्हें भविष्य के बेहतर नागरिक बनाने के लिए शिक्षा सब से महत्वपूर्ण साधन है। मेरी सरकार यह भी महसूस करती है कि विद्यार्थियों को रोजगार पाने में समर्थ बनाने के लिये माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के प्रयासस्वरूप वर्ष 1995-96 तक 23.92 लाख बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिल करने की योजना है। वर्ष 1994-95 में मेरी सरकार ने लड़कियों के लिये 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले, 110 प्राथमिक विद्यालयों, 102 मिडल विद्यालयों तथा 46 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया मेरी सरकार अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत लगभग 4.5 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन देती है।

वर्ष 1994-95 में कैथल, जींद, हिसार और सिरसा जिलों में विश्व बैंक की सहायता से एक जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम पर 160 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

बच्चों को कोमल आयु में दी जाने वाली शिक्षा के बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार प्रत्येक जिले के एक प्राथमिक स्कूल में "बिन बस्ता" नाम की एक मार्गदर्शी परियोजना चला रही है। इस परियोजना के तहत बच्चों को न तो घर पर करने के लिये काम दिया जाएगा और न ही उन पर बस्ते का बोझ होगा।

वर्ष 1994-95 के दौरान हिसार, कुरुक्षेत्र और सोनीपत जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। आठ जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान पहले से ही चलाया जा रहा है। पानीपत और अम्बाला साक्षरता के बाद के दौर में पहुंच चुके हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के सभी 16 जिलों में पूर्ण साक्षरता प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

19. मेरी सरकार द्वारा खेलों के लिये दी गई उच्चकोटि की सुविधाओं और हरियाणा के युवकों की स्वाभाविक क्षमता के मेल से, यहां उच्चकोटि के खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य के लिये मान एवं ख्याति अर्जित की है। मेरी सरकार ने "भीम" पुरस्कार भी शुरू किया है जो कि हर वर्ष पांच उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त खेलों में और अधिक रुचि तथा जोश उत्पन्न करने के लिये अनुभवी खिलाड़ियों के उत्थान हेतु एक पेंशन योजना भी शुरू की गई है।

20. हरियाणा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है। वर्ष 1993-94 में 63 लाख भारतीय पर्यटकों और 2 लाख विदेशी पर्यटकों का हमारे पर्यटन स्थलों में आना इसका प्रमाण है। मेरी सरकार ने ज्योतिसर में एक नया पर्यटन स्थल बनाया है और यमुनानगर में एक पर्यटन स्थल का निर्माण-कार्य लगभग पूरा होने वाला है। "एथनिक इंडिया" नाम से एक नूतन परियोजना का भी विकास किया जा रहा है।

21. माननीय सदस्यगण, हरियाणा राज्य परिवहन देश की सर्वोत्तम परिवहन सेवाओं में से एक है। वर्ष 1993-94 के दौरान तेल की बचत और प्रति किलोमीटर खर्च में कमी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण हरियाणा परिवहन को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के दो पुरस्कार मिले हैं। वर्ष 1993-94 में इसने 6.18 करोड़ रुपए का कुल मुनाफा अर्जित किया और सरकार के लिये कुल 114.43 करोड़ रुपए का संसाधन जुटाया। यात्रियों की सुविधा एवं उन्हें और अधिक बेहतर सेवा देने के लिये "एक्सप्रैस बस" सेवाओं का विस्तार करके अभी तक 675 एक्सप्रैस बसें चलाई गई हैं। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा बस अड्डों में भी सुधार किया जा रहा है। परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ाने तथा बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार जुटाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने अब तक 1177 परिवहन सहकारी समितियों को जिले के अन्दर योजक मार्गों पर बसें चलाने के लिए परमिट जारी किए हैं जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हुए हैं। मेरी सरकार शिक्षित बेरोजगार युवकों की परिवहन सहकारी समितियों को बसें खरीदने के लिए कर्जे भी देती है। वर्ष 1994-95 में सहकारी बैंकों द्वारा इस उद्देश्य के लिये अब तक 753 परिवहन सहकारी समितियों को 34.60 करोड़ रुपये के कर्जे दिये जा चुके हैं।

[श्री अध्यक्ष]

22. मेरी सरकार ने सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटियों की कार्यावधि तीन वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे राज्य में सहकारिता आन्दोलन और मजबूत होगा। चालू वर्ष में सहकारी समितियों द्वारा अब तक 718.27 करोड़ रुपए फसल कर्जों के तौर पर दिये जा चुके हैं जबकि गत वर्ष 660.37 करोड़ रुपये के ऋण बांटे गये थे। गैर कृषि वित्त योजना के तहत सहकारी बैंकों ने चालू वर्ष में 54 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं जिसमें 33111 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इसी प्रकार इस वर्ष अभी तक ग्रामीण शिल्पकारों और छोटे दुकानदारों को 50.19 करोड़ रुपए के कर्जे दिये गए हैं और 82.95 करोड़ रुपये की लम्बी अवधि के कर्जे मंजूर किये गये हैं।

23. राज्य के अन्दर बढ़िया सड़कें बिछाने के प्रयत्नों के कारण राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। गत साढ़े तीन वर्षों में 484 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं, 7538 किलोमीटर सड़कों पर नवीकरण पर्त बिछाई गई है और 831 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करके सुधारा गया है।

अब तक 64 किलोमीटर चारमार्गी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को यातायात के लिए खोल दिया गया है और करनाल से अम्बाला तक के मार्ग पर कार्य वर्ष 1998 तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बल्लबगढ़ से होडल तक के भाग पर कार्य जून, 1996 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के भागों को भी चारमार्गी बनाने की योजना है। मेरी सरकार अब विश्व बैंक की सहायता से 450 करोड़ रुपए की लागत वाली राज्य सड़क परियोजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा मेरी सरकार ने निर्माण-परिचालन तथा अन्तरण आधार पर दिल्ली-अम्बाला एक्सप्रैस मार्ग के निर्माणार्थ अर्थ-क्षमता अनुशीलन के लिये मलेशिया के मैसर्ज रेनांग के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

24. सरकार ने पशुधन का सुधार करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। इसके परणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दूध की उपलभ्यता 602 ग्राम हो गई है। सरकार ने पशुधन की बेहतर देखभाल के लिये प्रत्येक पटवार सर्कल में पशु चिकित्सा डिस्पैंसरियां और प्रत्येक जिला मुख्यालय में पूरी तरह से सुसज्जित पालिक्लिनिक खोलने की योजना बनाई है। वर्ष 1995-96 में 50 नई पशु चिकित्सा डिस्पैंसरियां खोलने, 30 पशु चिकित्सा डिस्पैंसरियों/स्टाकमैन केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें अस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। नैशनल बुल प्रौडक्शन प्रोग्राम, जिसमें भ्रूण-अंतरण की तकनीक भी शामिल है, भारत सरकार की सहायता से शुरू किया जा रहा है।

25. आवास क्षेत्र में, मेरी सरकार ने महात्मा गांधी की 125वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में "महात्मा गांधी आवास योजना" चलाई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अक्तूबर, 1995 तक 7 स्थानों पर कमजोर वर्गों के लिये लगभग 4000 कम आय वर्ग

वाले मकान बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1995-96 में विभिन्न वर्गों के 3000 मकान बनाए जाने हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने योजनाबद्ध शहरी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वर्ष 1994-95 में 5 नए रिहायशी सैक्टर, 2 औद्योगिक सैक्टर तथा एक संस्थागत सैक्टर सृजित किए हैं।

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये समय-समय पर भूमि अभिग्रहण की जाती है। मेरी सरकार ने अभिगृहीत भूमि का मूल्य निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है ताकि भू-स्वामियों को भूमि का मूल्य बाजार भाव के आधार पर मिल सके और उन्हें अदालत में जाना न पड़े।

26. विकास के प्रयासों की सफलता, कर्मचारियों की कुशलता तथा निष्ठा पर निर्भर करती है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, जो एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उभरा है, कर्मचारियों को सेवा में प्रवेश के समय तथा सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण दे रहा है। मेरी सरकार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सेवा के बाद अगला उच्चतर मानक स्केल दे रही है। सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 1992-93 का बोनस दिया जा चुका है। 1993-94 का बोनस देने का भी फैसला किया गया है, जिसका एक चौथाई नकद होगा। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को पेंशन देने का भी फैसला किया गया है। मेरी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में सुधार सम्बन्धित सुझाव देने के लिये एक राज्य वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। चट्टोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर के राज्य की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की गैर वित्तीय सेवा शर्तों के बारे सुझाव देने के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। मेरी सरकार कर्मचारियों की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूतिशील है और इसीलिये वह कर्मचारियों की जायज जरूरतों को पूरा करने की हमेशा कोशिश करती रही है। साथ-साथ कर्मचारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

27. माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार के नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि इस अभिभाषण में व्यक्त मुद्दे इस गरिमामय सदन में परिचर्चा का ठोस आधार बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में आप अपना पूर्ण योगदान करेंगे और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग देंगे।

मैं सदन की कार्यवाही की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द "

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

ज्ञानी जैल सिंह, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के 25 दिसम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मई, 1916 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने फरीदकोट रियासत में समानान्तर सरकार की स्थापना की। वह तत्कालीन पैप्सू राज्य में दो बार मन्त्री बने। वह वर्ष 1956 से 1962 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य तथा राज्य मन्त्री रहे। उन्होंने वर्ष 1972 से 1977 तक पंजाब के मुख्य मन्त्री पद को सुशोभित किया। वह वर्ष 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गए तथा भारत के गृह मन्त्री बने। जुलाई, 1982 में ज्ञानी जी भारत के सातवें राष्ट्रपति चुने गए तथा 1987 तक इसी पद पर आसीन रहे।

उनके निधन से देश एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक तथा भारत के यशस्वी सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सी0पी0एन0 सिंह के 29 नवम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म सन् 1901 में हुआ। वह बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे तथा उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह वर्ष 1952 से 1958 तक संयुक्त पंजाब के तथा 1980 से 1985 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे। उन्हें 1977 में "पद्म विभूषण" से विभूषित किया गया। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं कीं।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार स्वर्ण सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह के 30 अक्तूबर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1907 को हुआ। वह 1946 से 1952 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह पंजाब में कई बार मन्त्री पद पर रहे। वह वर्ष 1952 से 1957 तक राज्य सभा के तथा वर्ष 1957 से 1977 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1952 से 1975 तक केन्द्रीय मन्त्री रहे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव तथा शान्ति को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कई देशों का सद्भाव दौरा किया।

उनके निधन से देश एक महान् राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक तथा योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड राम किशन, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कामरेड राम किशन के 22 फरवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म अक्तूबर, 1913 में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल गए। वह संयुक्त पंजाब विधान सभा के दो बार सदस्य रहे तथा 1956 से 1957 तक उप मन्त्री भी रहे। वह वर्ष 1962 में राज्य मन्त्री थे। वह वर्ष 1964 से 1966 तक संयुक्त पंजाब के मुख्य मन्त्री पद पर रहे। वह लोक सभा के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती लक्ष्मी एन0 मेनन, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी एन0 मेनन के 30 नवम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 27 मार्च, 1899 को हुआ। वह वर्ष 1952, 1954 व 1960 में

[चौधरी भजन लाल]

राज्य सभा की सदस्या चुनी गई। वह वर्ष 1952 से 1957 तक संसदीय सचिव तथा 1957 से 1962 तक केन्द्रीय उप मन्त्री रहीं। वह 1962 में केन्द्रीय राज्य मंत्री बनीं। उन्हें 1957 में "पद्म भूषण" से विभूषित किया गया। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं कीं।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम मेहता, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ओम मेहता के 12 फरवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 फरवरी, 1927 को हुआ। वह जम्मू व कश्मीर विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह वर्ष 1964 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए। वह वर्ष 1970 से 1977 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री चंदूलाल चंद्राकर, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री चंदूलाल चंद्राकर के 2 फरवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जनवरी, 1920 को हुआ। राजनीति में आने से पूर्व वह कई वर्षों तक हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" के सम्पादक रहे। वह वर्ष 1970, 1971, 1980 1984 तथा 1991 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह वर्ष 1980 से 1982 तथा 1985 से 1986 तक केन्द्रीय राज्य मन्त्री रहे। उन्होंने विदेशों में कई भारतीय शिष्ट मण्डलों का नेतृत्व किया। वह एक मजदूर नेता थे तथा कई संगठनों से संबद्ध थे।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात पत्रकार, योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जे0 बी0 शाह, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री श्री जे0बी0 शाह के 18 अक्तूबर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 दिसम्बर, 1928 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। वह वर्ष 1967 से 1971 तथा 1985 से 1989 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1989 से 1991 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1990 से 1991 तक केन्द्रीय राज्य मन्त्री रहे। उन्होंने अनेक देशों का दौरा किया।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री रामसरन चन्द मित्तल, हरियाणा के भूतपूर्व मन्त्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मन्त्री श्री रामसरन चन्द मित्तल के 12 दिसम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 8 फरवरी, 1906 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। वह पैप्सू विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1954 से 1956 तक पैप्सू विधान सभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे। वह वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1962 से 1964 तक मंत्री रहे। वह वर्ष 1968 तथा 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा 1972 में मन्त्री बने। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए।

उनके निधन से राज्य एक स्वतन्त्रता सेनानी, योग्य प्रशासक तथा विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री टीका राम पालीवाल, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री

यह सदन राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री टीका राम पालीवाल के 8 फरवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जुलाई, 1909 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया तथा कई बार जेल गए। वह वर्ष 1957 से 1958 तक राजस्थान

[चौधरी भजन लाल]

विधान सभा के सदस्य रहे । वह वर्ष 1958 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए । वह 1952 में राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने । वह वर्ष 1962 से 1967 तक लोक सभा के सदस्य भी रहे ।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

चौधरी बालू राम, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्य मन्त्री

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्य मन्त्री चौधरी बालू राम के 28 सितम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म सन् 1915 में हुआ । वह वर्ष 1952 से 1969 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य थे । वह संयुक्त पंजाब में राज्य मन्त्री भी रहे । उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए ।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री राज सिंह दलाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राज सिंह दलाल के 16 सितम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म पहली अगस्त, 1925 को हुआ । वह रोहतक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे । वह वर्ष 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए । उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों में गहरी रुचि ली ।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री हरफूल सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरफूल सिंह के 10 दिसम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म सन् 1922 में हुआ । वह व्यवसाय से एक- कृषक थे । वह वर्ष 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये । उन्होंने समाज सेवा के अनेक कार्य किए ।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री भले राम, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भले राम के 25 नवम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म सन् 1929 में हुआ । वह वर्ष 1952 तथा 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये । उन्होंने समाज सेवा के अनेक कार्य किए ।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्रीमती मनमोहन कौर, तत्कालीन पैप्सू विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या

यह सदन तत्कालीन पैप्सू विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती मनमोहन कौर के 9 दिसम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

वह वर्ष 1954 से 1957 तक तत्कालीन पैप्सू विधान सभा की सदस्या रहीं । उन्होंने समाज सेवा के लिये अनेक कार्य किए ।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ खोसला, तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ खोसला के 20 नवम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

[चौधरी भजन लाल]

उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया । वह वर्ष 1952 में तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के सदस्य चुने गए ।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सैनानी तथा योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत नेता के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

चौधरी छाज्जू राम, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी छाज्जू राम के 30 जनवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म पहली जुलाई, 1917 को हुआ । वह वर्ष 1957 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे । उन्होंने गरीबों के उत्थान में गहरी रुचि ली ।

उनके निधन से देश एक विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

सरदार राम दयाल सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार राम दयाल सिंह के 15 नवम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म पहली मई, 1913 को हुआ । वह 1952 से 1957 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे । वह 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए ।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

मास्टर तेग राम, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य मास्टर तेग राम के 8 नवम्बर, 1994 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया । वह 1952 से 1957 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे । उन्होंने समाज सेवा के अनेक कार्य किए ।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी तथा योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री रामकिशन, सामाजिक कार्यकर्ता

यह सदन सामाजिक कार्यकर्ता तथा हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह के छोटे भाई श्री राम किशन के 3 फरवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

वह व्यवसाय से एक कृषक थे । उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा के अनेक कार्य किए ।

उनके निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्रीमती मनोहरी देवी, सामाजिक कार्यकर्ता

यह सदन सामाजिक कार्यकर्ता तथा हरियाणा के लोक निर्माण मन्त्री श्री अमर सिंह धानक की माता श्रीमती मनोहरी देवी के 19 जनवरी, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म सन् 1902 में हुआ । वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी । उन्होंने गरीबों के उत्थान में गहरी रूचि ली तथा समाज सेवा के अनेक कार्य किए ।

उनके निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टूकलां) : स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, उसका मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन

[प्रो० सम्पत सिंह]

करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के अधिवेशन तथा अब के विधान सभा के सैशन के बीच के समय में हमारे बहुत से स्वतन्त्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हमारे बीच से चले गए हैं । विशेषकर ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में कहावत सच हो जाती है कि वे झोंपड़ी से निकल महल तक पहुंचे हैं । वे अपनी ईमानदारी से और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे थे । ज्ञानी जी ने देश की आजादी में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया । उसके बाद वे दो बार पैप्सू में मंत्री रहे, पंजाब में मंत्री रहे । उसके बाद भी उनके कदम रुके नहीं, केन्द्र में ज्ञानी जी ने गृह मंत्रालय का कार्यभार भी सम्भाला और इसके बाद देश के राष्ट्रपति चुने गए। उनका निधन, स्पीकर सर, हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। इनके रिश्ते-दार मेरे भी पड़ौसी हैं , उनका वहां पर आना जाना लगा रहता था । जब वह पी० जी० आई० में एडमिट थे तो मैं भी उनसे दो-तीन बार मिलकर आया था, लेकिन स्पीकर सर, दुर्भाग्य यह है कि वह ऐक्सीडैंट के शिकार हुए । अगर उसी वक्त उनकी तरफ ध्यान दिया जाता तो हो सकता है देश को उनकी अमूल्य सेवाएं अभी कुछ वक्त और मिल सकती थीं । सर, हमें उनकी मृत्यु से बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है ।

इसी तरह से श्री सी०पी०एन० सिंह जो पंजाब और उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, की सेवाओं से भी देश वंचित हो गया है । हमें उनकी मृत्यु पर बड़ा दुख है । इसी तरह से स्पीकर सर, सरदार स्वर्ण सिंह, जो पंजाब व केन्द्र में मिनिस्टर रहे तथा विदेश मंत्री भी रहे हैं, की मृत्यु से हमें बड़ा ही दुख है । विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने देश का नाम बहुत ही ऊंचा किया है । ऐसे महानुभावों की इस वक्त बहुत जरूरत थी । उनकी मृत्य हो जाने पर सारे देश को बहुत दुख है । इसी तरह से कामरेड राम किशन जी, जो ज्वायंट पंजाब में मुख्यमन्त्री भी रहे एवं जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था, के अनुभव से देश वंचित हो गया है । हमें उनकी मृत्यु का बड़ा दुख है ।

इसी तरह से स्पीकर सर, श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन जो केन्द्र में पहले मन्त्री रही हैं, के दुखद निधन से हमें बड़ा दुख है । इसी तरह से श्री ओम मेहता, चंदूलाल चन्द्राकर जो केन्द्र में राज्य मंत्री रहे हैं, के दुखद निधन से हमें बड़ा दुख हुआ है । इसी तरह से श्री जे० बी० शाह जो केन्द्र में राज्य मन्त्री रहे हैं, के दुखद निधन से देश को बड़ी क्षति हुई है । इसी तरह से श्री रामसरन चन्द मित्तल जो हरियाणा में मन्त्री रहे हैं, तथा उससे पहले पैप्सू के अन्दर भी वह विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने मन्त्री पद भी सम्भाला । अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनके बारे में कहा जाता है कि वह उस समय विधानसभा को बहुत बढ़िया तरीके से चलाते थे । आज भी उनका इस बारे में नाम है । उनसे सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रहती थी । वह किसी भी सदस्य का नाम काल नहीं करते थे । किसी सदस्य को निकालते नहीं थे, सस्पैंड नहीं करते थे । वे बहुत ही विशाल हृदय

के स्पीकर रहे हैं । उन्होंने जो परम्पराएं स्थापित की हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए । उनका संसदीय प्रणाली में बड़ा योगदान रहा है, विधानसभा चलाने में विशेष योगदान रहा है । हमें उनकी मृत्यु से बड़ा दुख है । इसी तरह स्पीकर सर, श्री टीका राम पालीवाल जो राजस्थान के मुख्यमन्त्री रहे हैं, के निधन से हमें दुख हुआ है । इसी तरह से चौधरी बालू राम जो पंजाब में मंत्री रहे हैं, के निधन से भी हमें दुख हुआ है ।

इसी तरह से श्री राज सिंह दलाल, जिनका रोहतक से सबंध था और रोहतक इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, के निधन पर हमें दुख है । वे बहुत बढ़िया आदमी थे । इसी तरह से चौधरी हरफूल सिंह जो हिसार जिले के रहने वाले थे और फतेहाबाद से 1977 में चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे थे, के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ है । वे बहुत जबरदस्त लड़ाकू आदमी थे । उन्होंने किसानों के लिए, दलितों के लिए लड़ाईयां लड़ीं । उनकी हमेशा ही निर्भीक एवं निडर नेता के रूप में पहचान याद आती रहेगी । उन्होंने बीमारी से बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी । उनकी मृत्यु से देश एक सामाजिक और राजनैतिक नेता से वंचित हो गया है । इसी तरह से श्री भलेराम जो संयुक्त पंजाब के सदस्य रहे हैं, की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ है ।

इसी तरह से श्रीमती मनमोहन कौर, श्री सुरेन्द्र नाथ खोसला, चौधरी छाज्जू राम, सरदार राम दयाल सिंह जो ज्वायंट पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे हैं, के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ है । इसी तरह से मास्टर तेगराम की मृत्यु से भी हमें दुख हुआ है । इन सभी महानुभावों के चले जाने से देश को बहुत क्षति हुई है ।

इसी तरह से स्पीकर सर, हमें आपके छोटे भाई श्री राम किशन की मृत्यु से बहुत ही दुःख हुआ है । स्पीकर सर, विधि का विधान है और भाग्य की विडम्बना है कि जो आदमी इस संसार में आता है, उसको जाना ही पड़ता है लेकिन हमारे समाज में अपने से छोटे की मृत्यु होने का बड़ा दुःख होता है । हम सभी आपके साथ इस दुःख में शामिल हैं । उनके निधन से आप अपने छोटे भाई के प्यार से वंचित हो गए हैं । इसी तरह से हमारे साथी श्री अमर सिंह धानक जो मंत्री हैं, की माता जी का प्यार और आशीर्वाद उनके सिर से उठ गया है । हम उनके दुःख के साथ अपने आपको शामिल करते हैं ।

इसी तरह से एक दो और प्रस्ताव भी आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं । हरियाणा प्रदेश में नकल विरोधी अभियान की शिकार बहन सुशीला रही हैं । पहले तो उनके बारे में पता नहीं चला । अब पता लग गया है कि उनकी हत्या हो गई । उनके निधन पर हमें गहरा शोक है । वे सामाजिक कार्यकर्ता थीं और नकल रोकने के अभियान में लगी हुई थीं । इसी तरह से प्रो० सुहाग बहुत ही अच्छी परम्परा कायम करने में लगे हुए थे, शिक्षा के प्रचार-प्रसार के काम में लगे हुए थे ।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

उनकी लाश नहर में मिली है। उनकी दुःखद हत्या पर हमें गहरा शोक है। टोहाना और नारनौंद में जो दो किसान मारे गए, वे भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके निधन पर हमें गहरा शोक है। उन्हें भी प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, सदन के पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में कई महानुभाव हमको छोड़कर चले गए। सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी ताईद करता हूं। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पुराने फ्रीडम फाईटर थे। पैप्सू में मिनिस्टर रहे, यूनाइटेड पंजाब में भी मिनिस्टर रहे। भारत सरकार में गृह मंत्री रहे और राष्ट्रपति बने। जिन हालात में उनकी डैथ हुई है, वह बहुत दर्दनाक बात थी। उसके लिए हमको बहुत अफसोस है कि इतने बड़े आदमी की ऐक्सीडैंड से डैथ हो गई। मैं इस बीच में ऑबिचुअरी से हटकर मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जी0टी0 रोड पर बड़े ऐक्सीडैंटस होते हैं। ऐक्सीडैंट न हों, तो बड़ी अच्छी बात है उसके लिए रिकवरी वैन और पैट्रोलिंग कराएं। ऐक्सीडैंट के कारण सड़क रुक जाती है और नुक्सान होता है।

श्री सी0पी0एन0 सिंह यूनाइटेड पंजाब में राज्यपाल रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। वे एक पुराने जाने माने बड़े आदमी थे। उनके निधन का हमें अफसोस है। इसी तरह से सरदार स्वर्ण सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेताओं में से एक थे। बड़े लम्बे अर्से तक भारत सरकार में मंत्री रहे। उससे पहले यूनाइटेड पंजाब में पार्टीशन से पहले मंत्री रहे। पंजाब में मंत्री रहे और विभिन्न फील्डज में वे देश की सेवा करते रहे। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ नैगोशियएशन करने में भूमिका निभाई, वह बहुत सराहनीय थी और जिस तरह की भी भारत के प्रधान मंत्री जी ने डियूटी दी, उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया। उनके निधन पर हमें बड़ा शोक है। इसी तरह से कामरेड राम किशन पुराने फ्रीडम फाइटर थे। यूनाइटेड पंजाब में स्टेट मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री भी रहे। पार्लियामैंट के सदस्य भी रहे। पुराने गांधीवादी थे बड़े सुलझे हुए नेता थे उनके निधन पर हमें बड़ा अफसोस है। इसी तरह श्रीमती लक्ष्मी एन0 मेनन एक बहुत काबिल पार्लियामैंटेरियन थीं और पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में ऐक्सटर्नल अफेयर्ज मिनिस्टर रहीं। उनके निधन पर हमें बड़ा अफसोस है। श्री ओम मेहता बड़े सज्जन व्यक्ति थे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे। बड़े नेक इंसान थे। इंदिरा जी की सरकार में गृह विभाग में स्टेट मिनिस्टर रहे। उनके निधन पर हमें बड़ा अफसोस है।

श्री चंदूलाल चंद्राकर, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री रहे। वे बहुत पुराने पत्रकार व हिन्दुस्तान अखबार के सम्पादक भी रहे और चार-पांच बार मध्य प्रदेश से लोकसभा

के मैम्बर भी चुने गये । वह बहुत संजीदा, समझदार व गम्भीर व्यक्ति थे । उनके अचानक स्वर्गवास हो जाने से इस देश को व हमें बहुत नुकसान हुआ । उनके निधन से हमें अफसोस है ।

श्री राम सरन चन्द मित्तल, पैप्सू में विधान सभा के स्पीकर रहे । हरियाणा सरकार में मन्त्री रहे और सरदार प्रताप सिंह करों के मन्त्रिमंडल में भी मन्त्री रहे । उनका निधन भी अचानक ही गया । इसके साथ-साथ मैं मुख्य मन्त्री महोदय से एक बात अवश्य कहूंगा कि नारनौल में जब उनको उपचार के लिये अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर न कोई काम का डाक्टर था और न ही दवाई नाम की कोई चीज ही थी । इसलिये मुख्य मन्त्री महोदय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भविष्य में अगर किसी मुख्य व्यक्ति को ऐमरजैन्सी में ले जाया जाए तो उनका इलाज ठीक व उचित समय पर हो सके , इस तरह का कोई विशेष प्रबन्ध सरकार करें । मैं जब उनके घर गया तो उनके भाई व लड़के ने मुझे बताया कि अस्पताल में कोई उचित प्रबन्ध नहीं था जिस से समय पर मैडिकल ऐड मिलती । उनके निधन से हमें बेहद दुःख है ।

इसी तरह से स्पीकर सर, श्री टीका राम पालीवाल जो राजस्थान के मुख्य मन्त्री रहे और लोकसभा के मैम्बर भी रहे, वे बड़े ही तजुर्बेकार व्यक्ति थे । उनके निधन पर हमें बहुत अफसोस है ।

श्री राज सिंह दलाल जो इसी विधान सभा के सदस्य रहे हैं । वह एक बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे । उनके निधन पर हमें बड़ा अफसोस है ।

मास्टर तेग राम, यूनाइटिड पंजाब में एम0एल0ए0 रहे और वह बड़े ही संघर्ष-शील व्यक्ति थे । इतनी लम्बी उम्र तक भी वे बड़े ही संघर्षशील रहे और सदा ही यह कहते रहे कि अबोहर-फाजिल्का का जो एरिया, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हरियाणा को अवार्ड में दिया था, वह सारा इलाका हरियाणा में आना चाहिए । उनके निधन से हमें बहुत ही दुःख है ।

इसी तरह से श्री जे0बी0 शाह, भूतपूर्व केन्द्र राज्य मन्त्री, चौधरी बालू राम, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्य मन्त्री, श्री हरफूल सिंह, श्री भले राम, श्रीमती मनमोहन कौर, श्री सुरेन्द्रनाथ खोसला, चौधरी छाज्जू राम, सरदार राम दयाल सिंह, कामरेड रामकिशन, सोशल वर्कर श्रीमती मनोहरी देवी, इन सब के निधन पर हमें बेहद दुःख है । मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं और इन के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और यह जो शोक प्रस्ताव इस हाउस में आया है, उस के साथ अपना पूर्ण समर्थन प्रकट करता हूं ।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रकृति का यह नियम है कि आने वाले को जाना ही पड़ता है। यदि दुनिया में कोई निश्चित है तो वह आने वाले का जाना निश्चित है, और परमेश्वर ने यह बात अपने हाथ में रखी है। ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति रहे। किस तरह से वे एक साधारण घर से निकल कर लकड़ी का काम करते करते राजनीति में पधारे और भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। उनके निधन से आज भारत ने एक स्वतन्त्रता सेनानी और गरिमामय व्यक्ति को खो दिया है।

श्री सी०पी०एन० सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल रहे। सरदार स्वर्ण सिंह जी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री; कामरेड राम किशन, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री; श्रीमती लक्ष्मी एन० मैनन, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री व श्री ओम मेहता के निधन से हमें बड़ा ही अफसोस है। अध्यक्ष महोदय, जब हम ऐमरजैन्सी में जेलों में थे तो ये उस समय भारत के गृह मंत्री थे। अम्बाला सैंट्रल जेल में कुछ दिनों के लिए कोई खास आदमी आ गया था और ये उससे मिलने आया करते थे। तो इनके निधन से हमें बहुत दुःख हुआ है। श्री चन्दू लाल चन्द्राकर जो पत्रकारिता से राजनीति में आए थे और उनके निधन से एक कलमकार और राज नेता भारत से चला गया जिसका हमें बहुत दुःख है। श्री जे०बी० शाह के निधन से भी हमें बहुत दुःख हुआ है। स्पीकर साहब, श्री राम सरन चन्द मित्तल हमारे यहां महेन्द्रगढ़ के रहने वाले थे। ये इतनी लम्बी जिन्दगी तक विचार को जीने वाले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे कि जिस विचारधारा से शुरू में जुड़े, उसी के साथ अन्त तक रहे। उन्होंने राजनीति में भी गरिमा को बना कर रखा। ये संयुक्त पंजाब में स्पीकर भी रहे और मन्त्री भी रहे। तो इनके निधन से भी हमें बहुत दुःख हुआ है। श्री टीका राम पालीवाल, चौधरी बालू राम और राज सिंह दलाल जी के निधन से भी हमें बहुत दुःख हुआ है। दलाल साहब मेहम से चुनाव लड़ा करते थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। वे अपने इलाके में बहुत लोक प्रिय थे। वे चुनाव में कटुता को हल्की-हल्की बातें करके कम कर दिया करते थे। आप कभी रोहतक में जाएं तो आपको उनकी लोकप्रियता का मालूम होगा। उनके निधन से हरियाणा ने एक राज नेता को खो दिया है। इसी तरह से श्री सुरेन्द्र नाथ खोसला, श्री छाज्जु राम, सरदार राम दयाल सिंह, मास्टर तेग राम, श्री राम किशन और श्रीमती मनोहरी देवी के निधन से हमें बहुत दुःख हुआ है। स्पीकर साहब, आपके छोटे भाई श्री राम किशन जी के निधन से भी हमें बहुत दुःख हुआ है। रस्म अदायगी के तौर पर आदमी कुछ भी कह दे, परन्तु जब अपने पर गुजरती है तब आदमी को पता चलता है। तो स्पीकर साहब, हमें उनके निधन से बहुत दुःख हुआ है। स्पीकर साहब इसके अलावा चौधरी अमर सिंह जी की माता जी के निधन से जहां चौधरी अमर सिंह को दुःख है, वहां पूरे सदन को भी उनके देहान्त से दुःख हुआ है। मां जाने से संसार का अन्त हो जाता है। बाप तो फिर भी सन्तान से भेद भाव कर जाता

है परन्तु मां जो होती है, वह ऐसी होती है कि किसी की आत्मा को जब तकलीफ होती है तो उसके मुंह से मां निकलता है। तो हम भी उनके साथ दुःख का इजहार करते हैं। स्पीकर साहब, मैं सदन के नेता से दरखास्त करूंगा कि राव दलीप सिंह महेन्द्रगढ़ से विधायक रहे हैं। उनके पुत्र महेन्द्र सिंह यादव और सुरेन्द्र सिंह यादव का निधन हो गया है। उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़े जाएं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, विधान सभा के पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में बहुत से राज नेता, पार्लियामैंटेरियन और समाज सेवक इस संसार से चले गए हैं। यह कुदरत का नियम है कि जो आया है उसने एक दिन जाना ही है। तो इस हाउस को और सभी को उनके जाने का दुःख है। ज्ञानी जैल सिंह जी, गांव से एक छोटा ओहदा शुरु करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। वे एक स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने उस समय की फरीदकोट रियासत में देश के लिए बड़ा कार्य किया। उनको बड़ी-बड़ी यातनाएं भी दी गईं। उन यातनाओं को उन्होंने देश की आजादी के लिए झेला। वे पैप्सू में एम०एल०ए० भी रहे। वे पंजाब में भी एम०एल०ए० रहे। वे केन्द्रीय सरकार में होम मिनिस्टर भी रहे और फिर देश के राष्ट्रपति बने। उनकी एक्सीडैंट में डैथ होने से सभी को बड़ा भारी दुःख है।

श्री सी०पी०एन० सिंह, संयुक्त पंजाब के गवर्नर रहे और उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर रहे। वे बड़े अनुभवी आदमी थे। उन्हें 1977 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। वे बिहार विधान सभा परिषद में भी मैम्बर चुने गए थे। वे बड़े योग्य प्रशासक थे और एक बहुत अच्छे राजनेता थे। उनके निधन से सभी को बड़ा भारी सदमा पहुंचा है। सरदार स्वर्ण सिंह, फौरेन मिनिस्टर रहे। वे शुरू से बड़े सीधे-सादे व्यक्ति रहे। वे एक किसान थे। वे आठवीं और दसवीं क्लास के इम्तिहानों में सारे पंजाब में फर्स्ट आए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को बड़ी अच्छी तरह से निभाया। वे पंजाब में एम०एल०ए० रहे, मंत्री भी रहे और केन्द्रीय सरकार में फारेन मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने हर तरह की कम्यूनल फीलिंग्ज को दूर करने में बड़ा भारी साथ दिया। उनके निधन से हम सभी को बड़ा भारी सदमा पहुंचा है।

कामरेड राम किशन, संयुक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे वे कई बार पंजाब विधान सभा के एम०एल०ए० भी रहे। वे स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। वे एक योग्य प्रशासक भी थे। उनके निधन से हम सभी को बड़ा भारी दुःख है। श्रीमती लक्ष्मी मेनन, ने काफी उम्र ली। वे राज्य सभा की तीन बार मैम्बर रहीं। उनको 1957 में पद्म भूषण से विभूषित किया गया। उनके निधन से सभी को बड़ा भारी दुःख है। श्री ओम मेहता, जम्मू व कश्मीर विधान परिषद के सदस्य रहे। वे कई दफा मैम्बर चुने गए। उनके निधन से हम सभी को बड़ा भारी दुःख है।

[श्री अध्यक्ष]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर पांच दफा अलग अलग टर्म के लिए लोक सभा में मैम्बर रहे। वे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। वे दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक भी थे। वे लेबर लीडर भी थे। उनके निधन से हम सभी को बड़ा भारी दुःख है।

श्री जे०बी० शाह, गुजरात के रहने वाले थे। वे गुजरात विधान सभा के लिए कई बार मैम्बर चुने गए। वे केन्द्रीय मंत्री मंडल में रहे। उनके निधन से हम सभी को बड़ा भारी दुःख है। श्री राम सरन चन्द मित्तल पैप्सू में मैम्बर रहे, स्पीकर भी रहे। वे ज्वांयट पंजाब में भी मैम्बर रहे और हरियाणा विधान सभा के भी मैम्बर रहे। हमारी असैम्बली में वे फाइनैंस मिनिस्टर भी रहे। वे बड़े योग्य प्रशासक थे। जब भी सदन में कोई बहस होती थी तो वे उसी वक्त किताब खोल लेते थे। वे कायदे कानून के बड़े जानकार थे। वे एक माने हुए वकील भी थे। उन्होंने यू०पी० से अपनी वकालत शुरु की थी। वे बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे।

इसी तरह से श्री टीका राम पालीवाल राजस्थान के मुख्य मन्त्री रहे। वे लोक सभा के मैम्बर भी रहे। वे स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। उनके निधन से हम को भी बड़ा भारी दुःख है। चौधरी बालू राम संयुक्त पंजाब के राज्य मंत्री रहे। उनके निधन से भी हम सभी को बड़ा भारी सदमा पहुंचा है। श्री राज सिंह दलाल हमारे साथ 1968 में महम से एम०एल०ए० बने थे। वे सॉफ्ट स्पोकन थे और समाजसेवी थे। इसी तरह से वे अपने जिले के हरेक सामाजिक कार्यों में

16.00 बजे हिस्सा लेते थे।

श्री हरफूल सिंह हरियाणा विधान सभा के 1977 में सदस्य बने थे। उनके निधन से भी हम सबको दुःख पहुंचा है। इसी प्रकार से श्री भले राम, श्रीमती मनमोहन कौर, श्री सुरेन्द्रनाथ खोसला, चौधरी छाज्जु राम, सरदार राम दयाल सिंह, मास्टर तेगराम जी, ये सभी ज्वायंट पंजाब के दौरान मम्बर रहे हैं। उनके निधन से हम सभी को दुःख हुआ है।

मेरे छोटे भाई श्री राम किशन का भी 3 फरवरी, 1995 को निधन हो गया। वे गांव में रहते थे और खेती का काम करते थे। उसके निधन से मुझे गहरा धक्का लगा है।

इसी प्रकार से श्री अमर सिंह धानक, जो हमारी सरकार के मंत्री भी हैं, की माता का भी निधन हुआ है। वे काफी बड़ी उम्र की थीं। उनका देहावसान 93 साल की आयु में हुआ है। इन सबके निधन का हमें बड़ा भारी दुःख हुआ है। मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से भी यहां की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दूंगा।

अब आपसे प्रार्थना है कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आप दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाएं ।

(At this stage the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes).

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a telegram from Shri Hari Singh Nalwa, M.L.A. which is as under :—

"Serious sick, Heart attack (.) cannot attend the session of the Haryana Assembly starting from 6th March. Kindly grant leave (.)"

Question is—

That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried.

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा–

(i) सभापतियों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13 (1) of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen :—

1. Smt. Chandravati.
2. Shri Mani Ram Keharwala.
3. Shri Dhir Pal Singh.
4. Prof. Chhattar Singh Chauhan.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 286 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions—

1. Shri Sumer Chand Bhatt, Deputy Speaker — Ex-Officio, Chairman

[Mr. Speaker]

2.	Shri Brij Anand, M.L.A.	Member
3.	Shri Mani Ram Keharwala M.L.A.	Member
4.	Prof. Chhattar Singh Chauhan M.L.A.	Member
5.	Shri Jai Pal Singh, M.L.A.	Member

(ख) सचिव द्वारा—

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now the Secretary will make the announcement.

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in September, 1994 and have since been assented to by the *President/Governor :

STATEMENT

1. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1994.
2. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1994.

*3. The Haryana Municipal Corporation Bill, 1994.

4. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1994.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon. Members, Now I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee met at 10.00 a.m. on Monday, the 6th March, 1995 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 p.m. and adjourn at 6.30 p.m. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 a.m. and adjourn at 1.30 p.m. without question being put.

However, on Monday, the 6th March, 1995, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the list of business for the day.

The Committee also recommends that on Friday, the 24th March, 1995, Assembly shall meet at 9.30 a.m. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business from 6th March, 1995 to 10th March, 1995 and from 13th March, 1995 to 15 March, 1995 and also from 20th March, 1995 to 24th March, 1995 be transacted by the Sabha as under :—

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 6th March, 1995	1. Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House.
	2. Obituary Refrences.
	3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Tuesday, the 7th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule 121.
	3. Presentation of Supplementary Estimates for the year 1994-95 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	4. Discussion on the Governor's Address.
Wednesday, the 8th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on the Governor's Address.
Thursday, the 9th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Non-official Business.
Friday, the 10th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on the Governor's Address and voting on Motion of Thanks.

[Mr. Speaker]

	3. Discussion and Voting on Demands for Grants on the Supplementary Estimates for the year 1994-95.
Saturday, the 11th March, 1995	Off Day.
Sunday, the 12th March, 1995	Holiday.
Monday, the 13th March, 1995 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour.
	2. Presentation of Budget Estimates for the year 1995-96.
Tuesday, the 14th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Papers to be laid on the Table of the House, if any.
	3. General discussion on Budget Estimates for the year 1995-96.
Wednesday, the 15 March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Thursday, the 16th March, 1995	Off Day.
Friday, the 17th March, 1995	Holiday.
Saturday, the 18th March, 1995	Off Day.
Sunday, the 19th March, 1995	Holiday.
Monday, the 20th March, 1995 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of general discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96 and reply by the Finance Minister.
Tuesday, the 21st March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Presentation of Assembly Committee Reports.
	3. Discussion and Voting on Demands for Grants for the year 1995-96.

Wednesday, the 22nd March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1994-95.
	3. Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1995-96.
Thursday, the 23rd March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Non-official Business.
Friday, the 24th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.
	3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
	4. Presentation of Assembly Committee Reports.
	5. Legislative Business.
	6. Any other Business."

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs/Irrigation Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

चौ० बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर साहब, आपने जो बिजनैस एडवाईजरी की रिपोर्ट पढ़ी है, उसके मुताबिक तीन हफ्तों में 13 सिटिंग्ज हैं और हाउस 24 मार्च, को साईने-डाई एडजर्न होगा । 24 मार्च को ही लैजिस्लेटिव बिजनैस के लिए समय रखा गया है । स्पीकर साहब, 3 बिल्ज आएंगे, आठ आर्डीनैंस और फिर उसके बाद रिपोर्टस हैं । मेरे को भी 18 साल का लैजिस्लेटिव और

[चौ० वीरेन्द्र सिंह]

पार्लियामैंट का अनुभव है । मेरी हाउस से और आपसे विनती है कि लैजिस्लेटिव बिजनैस को ज्यादा समय देने के लिए आप विचार करें । उसके साथ-साथ जो-जो विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टस पेश की जाएंगी, उस पर भी रूल 84 के तहत चर्चा की जा सकती है । सर, अगर रूल 84 का भी आपको नोटिस मिलता है तो उसके लिए भी आखिरी दिन रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा भी इसी तरह से एक घंटे में ही पंचायत तथा म्युनिसिपल एक्ट पास कर दिया गया था और किसी को बोलने का समय भी नहीं मिल पाया था । कई मैम्बर्ज बोल भी नहीं पाए थे। वह एक्ट पास होने के बाद अब उसमें कई त्रुटियां ठीक की गई । अगर उस समय मैम्बर्ज को अपने विचार रखने का समय दिया गया होता तो यह नहीं करना पड़ता । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि लैजिस्लेटिव बिजनैस किसी और दिन और रूल 84 पर बहस किसी और दिन होनी चाहिए । अगर ऐसा ही रहा जैसा कि रिपोर्ट में है, तो कई मैम्बर्ज को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा । न ही हम जो विधेयक सरकार लेकर आई है, उन पर अपने विचार दे पाएंगे । अध्यक्ष महोदय, कमेटियों की जो अलग-अलग रिपोर्टस पेश होंगी, उस पर भी मैम्बर्ज नहीं बोल पाएंगे। तो वे रिकमैंडेशंज बिल्कुल (अनहर्ड) चली जाती हैं जो कि मैं समझता हूं कि यह पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी के लिए स्वस्थ और अच्छी प्रथा नहीं है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके पास जो रूल 84 के अन्दर रिपोर्टस पर बहस के लिए नोटिस आए हैं वह आप आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए लास्ट वीक में जो पांच सिटिंग्ज हैं, उनमें आप समय निर्धारित करें । अगर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्ज इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिफरैंट कारपोरेशंज, बोर्डज, डिपार्टमैंट्स का अनैलेसिस कर सकेंगे । उनमें जो भी कमियां हैं, उसको सदस्य उजागर कर सकेंगे ताकि सरकार के नोटिस में भी वे कमियां आएं । इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इन रिपोर्टस पर बहस के लिए समय जरूर दिया जाए और अगर आप इन पर इस तरह से बहस के लिए समय नहीं दे सकते तो मैं कहूंगा कि हाउस का समय कुछ दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारु) : स्पीकर सर, मैं इस बारे में यह कहना चाहती हूं कि कारपोरेशन्ज की रिपोर्टस हाउस में शुरू में ही आनी चाहिए ताकि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में इररैगुलेरिटीज होती हैं या और कुछ कमियां होती हैं, उन पर हम विचार कर सकें । स्पीकर सर, मेरी तो आदत है कि मैं इन रिपोर्टस को देखती हूं लेकिन सैशन के आखिर दिनों में ये रिपोर्टस हमारे पास आती हैं, जिसकी वजह से न तो हम इनको पढ़ सकते हैं और न ही कुछ बोल सकते हैं । हमें इनको पढ़ने का समय ही नहीं मिलता । इसलिए आप मुख्य मन्त्री जी को यह सुझाव दें कि जितनी भी रिपोर्टस हैं, वह शुरु के दिनों में हाउस में आनी चाहिए ताकि हम उनको पढ़ सकें । ऐसा करने से ऐडमिनिस्ट्रेशन भी सुधरेगा और फाईनैंशियल इररैगुलैरिटीज भी कम होंगी । स्पीकर सर, कई कारपोरेशन्ज की रिपोर्टस तो बार-बार साल तक

नहीं आतीं इसलिए कैसे पता चलेगा कि वे काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो आगे साल उनकी रिपोर्टस शुरू में आनी चाहिएं ताकि हम उन्हें पढ़ लें। बिना पढ़े हम क्या बोलेंगे फिर भी हमारे जैसे तो बोल लेते हैं लेकिन जितना न्याय हम उनके साथ करना चाहते हैं, उतना नहीं कर पाते तो मेरी आपसे यही अर्ज है। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल बंगलौर में आल इंडिया चीफ विह्पस कांफ्रैंस हुई थी और वहां सारे देश से अलग-अलग पार्टियों के मुख्य सचेतक तथा भारत के लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य भी आए हुए थे। वहां पर राज्य विधान सभा के सत्र के बारे में काफी चर्चा हुई थी। मैं समझता हूं कि उस सचेतक सम्मेलन की रिपोर्ट भी सैक्रेटरी साहब के पास आयी होगी। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विधान सभाओं के सत्र लम्बे होने चाहिएं। जैसा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने और बहिन जी ने बात बताई है, इनकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे सभी साथियों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। हमें बड़ा दुःख होता है कि हमारी कही हुई बातों पर चाहे कार्यवाही हो या न हो लेकिन जो सदस्य चुनकर आते हैं और लोगों की समस्याओं को हाउस में कहना चाहते हैं, उनको यह तो अधिकार होना ही चाहिए कि जो भी आते हैं, उनको वे सदन के सामने रखें। कमेटीज में भी यह बात देखने में आती है कि जो हरियाणा के अधिकारी हैं, वे हमारी कमेटीज की रिकमन्डेशन्ज के बारे में गम्भीर नजर नहीं आते क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी रिपोर्टस पर बहस के लिए हाउस में ज्यादा समय नहीं होता। इसलिए यहां फार्मैलिटिज के तौर पर कागज रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि जो हमारे पंचायती राज और म्यूनिसिपल कमेटीज के एक्ट पास किए गए, वह कुछ घंटों में ही या पांच मिनट में ही पास हो गए थे जबकि इनमें इतनी कमियां हैं। आप उस एक्ट को देखिए। उसमें बहुत खामियां हैं। हरियाणा के लोगों के सामने आज पंचायती राज का नाम लिया जा रहा है जबकि मैं नहीं समझता कि इस एक्ट से हरियाणा के लोगों की कुछ सेवा होगी। स्पीकर सर, पिछले कई सत्रों में आपने हमें आश्वासन दिया है कि इस काम के लिए अधिक से अधिक समय देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि समय बढ़ाया जाए। धन्यवाद।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 24 मार्च को लैजिस्लेटिव बिजनैस से मोशन अंडर रूल 84 का काम निपटाने के लिए कहा गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लैजिस्लेटिव असैंबली का काम मौलिक रूप से कानून बनाने का है। जो अमैंडमैंट करनी है या नया बिल लेकर आना है, उसको पास करना है। उसमें जल्दबाजी से काम लिया जाता है। जिस तरह से पिछला सैशन हुआ, पंचायती राज एक्ट आया, म्यूनिसिपल बिल आया, उसने 48 घंटे का समय भी नहीं दिया। 48 घंटे

[चौ0 ओम प्रकाश बेरी]
पहले बिल भी नहीं दिया । यह बातें जल्दबाजी में निपटाने की नहीं हैं । मैं आपको 1954 की बात याद दिलाता हूं । उन दिनों पंजाब विधान सभा के अधिवेशन महीनों चलते थे । हर मैम्बर को पूरी बात कहने की पूरी आजादी होती थी । आजकल तो मेरे ख्याल से संवैधानिक औपचारिकता ही पूरी की जा रही है । सभी मैम्बर्ज को अपनी पूरी बात कहने का वक्त नहीं मिलता इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह कहना चाहूंगा कि जो लैजिस्लेटिव बिजनैस का काम है, उसके लिए एक दिन मुकम्मल रखा जाए जिससे हरियाणा के लोगों के लिए अच्छे कानून पास किये जा सकें । म्यूनिसिपल बिल आया, उसके बाद सरकार को उसमें अमैंडमैंट करने की जरूरत पड़ गई । म्यूनिसिपल कमेटी के ऐक्ट में पता नहीं और कितनी अमैंडमैंट करनी पड़ेंगी । इसलिए सारे काम को जल्दी में नहीं निपटाना चाहिए । इसके लिए पूरा समय मिलना चाहिए ताकि लैजिस्लेटिव असैम्बली में सदस्यगण अपनी बात कहकर अच्छे ढंग का कानून बना सकें । रिपोर्टस बहुत पहले हाउस में पेश कर देनी चाहिए ताकि मैम्बर्ज को पढ़ने का समय मिल जाए इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2-3 सिटिंग और होनी चाहिए । मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह, बहिन चन्द्रावती जी की बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

प्रो0 छतर पाल सिंह (घिराय) : माननीय स्पीकर साहब, मेरे साथी सदस्यों ने इस सदन का और आपका ध्यान उन बहुमूल्य बातों की तरफ दिलाने का प्रयास किया है जो इस देश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । मैं आपका ध्यान उस वक्त की ओर दिलाना चाहता हूं जब न यह सदन था, न यह व्यवस्था थी । इस देश पर विदेशी ताकतों के कब्जे थे, उस वक्त हरियाणा की जनता और हिन्दुस्तान की जनता हैल्पलेस महसूस करती थी क्योंकि नुमाइंदे उनके नहीं थे । नुमाइंदे विदेशी होते थे । उनसे वे कोई गुजारिश नहीं कर सकते थे । अपने हक में कोई बात नहीं करवाई जा सकती थी । स्पीकर साहब, बड़ी विडम्बना की बात है कि अनेक कुर्बानियों के बाद जब इस देश को, इस देश की जनता को अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति और तरक्की के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए अपनी व्यवस्था का मौका मिला है, तब भी उसे मौका नहीं दिया जा रहा है । आज वे शूरवीर तो इस देश में नहीं लेकिन वह इतिहास आज आपके सामने है, इस देश के सामने है । उन कुर्बानियों को यदि इसी तरह से जाने दिया जाएगा, आज यहां पर जो हुक्मरान बैठे हैं, वे उन मुद्दों को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा ? अपने साथियों की उन कुर्बानियों को गिनाने के लिए मैं उन जज़बातों को छेड़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : छतर पाल सिंह जी, टू दि प्वाइंट बोलिए ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों को याद नहीं है जोकि आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि हर विधायक सवा लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके यहां आया है और आज यहां पर जो विधेयक पास होते हैं, जो मुद्दे-कानूनी नुक्ते यहां पर उठाये जाते हैं, अगर उनके ऊपर उन की राय न ली जाए तो यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि हरेक विधायक को यहां पर खुल कर अपने विचार रखने का पूरा-पूरा अधिकार है और होना भी चाहिये लेकिन यहां पर तो 1947 से पहले के समय की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिये मेरी राय है कि हरेक मुद्दे के ऊपर, हरेक सदस्य को इस प्रजातन्त्र के युग में अपने विचार रखने का पूरा-पूरा समय मिलना चाहिये ताकि वह हरेक इशू पर खुल कर अपने विचार रख सके। इसलिये स्पीकर साहब, मेरा यह सुझाव है कि मेरे माननीय साथियों ने सदन का समय बढ़ाने के बारे में अपने विचार रखे हैं, वे जनता के मुद्दों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं और उन बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं जोकि जनता की भलाई के लिये हैं। इसलिये इस सदन के समय में और टाईम ऐड कर दिया जाए ताकि सभी मैम्बर्ज अपने-अपने विचार खुलकर यहां हाउस में रख सकें। धन्यवाद।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सदन का टाईम बढ़ाने के बारे में व रिपोर्टस पर डिस्कशन के बारे में चर्चा की। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बिलों में अमैंडमैंट है, वह तो केवल एक-एक लाईन की ही है। वह कोई बहुत लम्बा चौड़ा काम नहीं है। दूसरा जहां तक रिपोर्टस का ताल्लुक है, सरकार यह चाहती है कि उन पर डिस्कशन हो। इस के लिये आप भी भली भांति जानते हैं कि रूल 84 के तहत जब भी कोई माननीय सदस्य चाहे, नोटिस दे सकते हैं और तभी उस पर डिस्कशन भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : पहले रिपोर्टस तो पेश हों, तभी डिस्कशन होगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट तो आज ही पेश कर रहे हैं। 21 से लेकर 24 तक जो रिपोर्टस हैं, वह तो आज ही पेश हो रही हैं और उन पर ये डिस्कशन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप यह महसूस करते हैं कि काम ज्यादा है, समय बढ़ना चाहिये तो हम इसके लिये भी तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार को कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है, डर नहीं है। कोई भागने वाली बात नहीं है। बी०ए०सी० की मीटिंग में जो तय हुआ है, वह तो काम के हिसाब से तय हुआ है। उसमें और एडजस्टमैंट हो सकती है। चाहें तो आधा घंटा बढ़ा दें और अगर आप चाहें और समझें कि काम ज्यादा है तो सैशन को एक दो दिनों के लिये भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये सरकार को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।

चौ० बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि जो रिपोर्टस हाउस में ले की जाती हैं उन पर रूल 84 के तहत डिस्कशन होती है। पार्लियामैंट में यह कंवैन्शन है कि बी०ए०सी० में बैठकर स्पीकर इस का फैसला कर लेते हैं और अगले दिन उस पर डिस्कशन का टाईम फिक्स किया जाता है। यहां पर भी यही होना चाहिए लेकिन यहां पर सैशन के लास्ट-डे पर इसके लिये एक घण्टा फिक्स कर देते हैं। मुख्य मन्त्री महोदय ने यह कह दिया कि अमैंडमैंट्स एक-एक लाईन की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी कभी एक-एक लाईन का भी बड़ा महत्व होता है एक लाईन का मतलब कभी उलटा हो जाता है और कभी उसका मतलब सीधा भी हो जाता है। जिस टाईम पर ये बिल पास हुए थे, अगर हम उन पर उस समय डिटेल में डिस्कस कर लेते तो अब शायद ये अमैंडमैंट्स लाने की जरुरत ही न पड़ती। इसलिये इन पर डिस्कशन के लिये अगर समय फिक्स कर दिया जाए तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : जब मोशन आएगा तो उसके मुताबिक डिसाईड कर लिया जाएगा।

Now, Question is—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to lay on the Table—

1. The Haryana Municipal (Third Amendment) Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 6 of 1994).
2. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension) of Members Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 7 of 1994).
3. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 8 of 1994).
4. The Haryana Municipal (Fourth Amendment) Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 9 of 1994).

5. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 1994 (Haryana Ordinance No. 10 of 1994).

6. The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 1 of 1995).

7. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 2 of 1995).

8. The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 3 of 1995).

Sir, I beg to re-lay on the Table :—

9. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 43/Const./Art. 320/Amd. (3)/94, dated the 20th May, 1994 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1994 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

10. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 44/ H.A. 20/73/S. 64/94, dated the 1st June, 1994 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1994 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

11. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 54/ H.A. 20/73/S 64/94, dated the 11th August, 1994 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1994 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

12. The Local Government Department Notification No. S.O. 60/H. Ordi. 4/94/S. 6/94, dated the 3rd August, 1994 regarding the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

13. The Local Government Department Notification No. S.O. 64/H.Ord. 4/94/S.32/94 dated the 4th August, 1994 regarding the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Sir, I beg to lay on the Table :—

14. The Local Government Department Notification No. G.S.R. 67/ H.A. 16/94/S. 32/94, dated the 11th November, 1994 regarding the Haryana Municipal Corporation Election (First Amendment) Rules, 1994, as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

15. The Local Government Department Notification No. G.S.R. 76/ H.A. 16/1994/S. 36/94, dated the 10th December, 1994 regarding the Haryana Municipal Corporation Election (Second Amendment) Rules, 1994 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

16. The Local Government Department Notification No. G.S.R. 81/ H.A. 16/1994/S. 36/94, dated the 20th December, 1994 regarding the Haryana Municipal Corporation Election (Third Amendment) Rules, 1994 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

[Chaudhri Jagdish Nehra]

17. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 73/H.A. 20/73/S. 64/94, dated the 1st December, 1994 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1994 as required under Section 64(3), of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

18. The Excise and Taxation Depatment Notification No. G.S.R. 79/H.A. 20/73/S. 64/94, dated the 20th December, 1994 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules 1994 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

19. The General Administration Dapartment (General Services) Notification No. G.S.R. 1/Const./Art. 320/Amd. (4)/95, dated the 4th January, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

20. The General Administration Department Notification No. G.S.R. 2/Const./Art. 320/Amd.(5)/95, dated the 4th January, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fifth Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

21. The 18th Annual Report for the year 1991-92 of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

22. 19th Annual Report for the year 1992-93 of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

23. The 26th Annual Report for the year 1992-93 of the Haryana Warehousing Corporation as rquired under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

24. The 20th Annual Report for the year 1993-94 of the Haryana Seeds Development Corporation Limited as required under Section 619—A (3) of the Companies Act, 1956.

25. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 No. (2) (Commercial) of the Government of Haryana in persuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

26. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 No. (1) (Revenue Receipts) of the Government of Haiyana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री सम्पत सिंह, एम०एल०ए० तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Sher Singh, M.L.A., Chairman, Committee of Privileges will present the Fourth Preliminary Report of the

Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh, M.L.A. and Leader of the Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final report to the House.

Ch. Sher Singh (Chairman Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh, M.L.A. and Leader of the Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993.

Sir, I also beg to move —

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Motion moved —

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Sher Singh M.L.A., Chairman, Committee of Privileges will present the Fourth preliminary report of the Committee of privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shakrulla Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh, etc. in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993, and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Ch. Sher Singh (Chairman, Committee of Priviliges) : Sir, I beg to present the Fourth preliminary Report of the Committee of privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A., against Shri Karan Sigh Dalal,

[Ch. Sher Singh]

M.L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd Ilyas, Shakrulla Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar, Dharamdir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala and Chnattarpal Singh, etc. in the lobby of the House at about 3.00 P. M. on the 11th March, 1993.

Sir, I also beg to move--

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Question is--

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh, M. L. A., Chairman, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana, against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on palpable, falsehood, deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final report to the House.

Ch. Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Second Priliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question on alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana, against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on palpable, falsehood, deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, प्रिविलेजिज कमेटी के चेयरमैन ने तीन बार यहां कहा है कि I beg to present the Preliminary Report of the Committee. वह रिपोर्ट हाउस में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इन्होंने वह रिपोर्ट हाउस में कहां पर रखी है या ये वह रिपोर्ट रखना भूल गए हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आपको दे देंगे।

Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

The motion was carried

(iv) श्री ओमप्रकाश चौटाला, एम. एल. ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh, M.L.A., Chairman, Committee of Privileges will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana, against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994, that he was honourably acquitted in the case of seizure of Watches by the Custom Authorities and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final report to the House.

Ch. Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) **:** Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in r gard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana, against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994, that he was honourably acquitted in the case of seizure of Watches by the Custom Authorities.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr . Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 7th March, 1995.

*16.39 (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 7th March, 1995.)